फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान सोनी देवी बनाम भूरी देवी

मुकदमा संख्या TOI/36/2022

23/7/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। उभयपक्षों की बहस व पत्रावली का मनन कर न्यायालय यह पाता है कि विवादित आराजी प्रार्थी/अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। वाद बहुलता को रोकने हेतु न्यायालय उभयपक्षों को ग्राम तिवाडीवाला, भू0अ0नि0 क्षैत्र कालवाड जिला जयपुर के खसरा नम्बर 41/2 रकबा 4.3883 है0 भूमि पर ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करता है।

प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी में वादग्रस्त भूमि के किसी विशिष्ठ भू–भाग पर नये निर्माण व नये बोरिंग की स्वीकृति चाही गई है, जो खारिज फरमाया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/07/2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम